भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या – 2824**

(जिसका उत्तर गुरुवार, 14 मार्च, 2013/23 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>कंपनियों का विलय</u>

**2824. श्री आर. थामराईसेलवन :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कंपनियों के विलय से संबंधित नियमों में संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

## उत्तर

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
## (श्री सचिन पायलट)

**(क) से (ग) :** कंपनी विधेयक के खंड 233(13) में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार यथाविहित तरीके से कंपनियों के विलय अथवा समामेलन की व्यवस्था कर सकती है। विधेयक प्रभावी हो जाने के पश्चात् कंपनियों के विलय अथवा समामेलन हेतु नियम विहित किए जाएंगे।

*****